राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 390/2008

गोपाल राम, (मृत्यु के बाद से) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से:-
1/1 कौशल किशोर पुत्र गोपाल राम
1/2 श्रीमती सरोज पत्नी गोपाल राम
1/3 जीतेन्द्र कुमार पुत्र गोपाल राम
1/4 राहुल पुत्र गोपाल राम
1/5 लक्ष्मी कुमार पुत्री गोपाल राम
सभी निवासी भगोरी, तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज **विभाग**, **जयपुर** ।
2. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**, **जिला परिषद**, **भरतपुर।**
3. **विकास अधिकारी**, **पंचायत समिति बयाना**, **जिला भरतपुर।**

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री संजय महर्षि, के साथ
श्री तिमन सिंह
उत्तरदाता (ओं) के लिए : सुश्री सारा परवीन,
श्री कपिल प्रकाश माथुर, एएजी की ओर से।

जस्टिस अनूप कुमार धंद

<u>आदेश</u>

28/01/2025

रिपोर्टयोग्य

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बयाना द्वारा पारित दिनांक 27.07.2007 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 (संक्षेप में, "सीसीए नियम, 1958") के नियम 17 के तहत संचयी प्रभाव से दो वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने का जुर्माना लगाया गया है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को सी.सी.ए. नियम, 1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने जवाब प्रस्तुत किया था, लेकिन सी.सी.ए. नियम, 1958 के तहत किसी भी जांच के बिना, सीधे ही, आरोपित दंड आदेश पारित कर दिया गया है, जिसने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है, इसलिए इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है।

3. इसके विपरीत, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया, हालांकि, वह याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों का खंडन करने की स्थिति में नहीं है।

4. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

5. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को सी.सी.ए. नियम, 1958 के नियम 17 के तहत आरोप-पत्र जारी किया गया था, जिसके विरुद्ध उसने अपना जवाब प्रस्तुत किया था, लेकिन सी.सी.ए. नियम, 1958 के तहत जांच की प्रक्रिया किए बिना और केवल याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर, विवादित आदेश पारित कर दिया गया है और याचिकाकर्ता पर संचयी प्रभाव से दो वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने का मामूली दंड लगाया गया है।

6. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1958 अधिनियमित किए गए हैं। अनुच्छेद 309 का परंतुक, राज्य के मामलों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु नियम बनाने की शक्ति का स्रोत है। इन नियमों का अध्याय V, किसी भी कदाचार के दोषी पाए जाने पर, दोषी कर्मचारियों के अनुशासन और उन पर लगाए गए दंड से संबंधित है।

7. सीसीए नियम, 1958 का नियम 14 दंड की प्रकृति से संबंधित है और यह निम्नानुसार है:-

"14. दंड की प्रकृति.- निम्नलिखित दंड, अच्छे और पर्याप्त कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जाएगा, और जैसा कि इसमें आगे उपबंधित है, सरकारी कर्मचारी पर लगाए जा सकेंगे, अर्थात्:-

(i) निंदा;

(ii) वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना;

(iii) किसी कानून, नियम या आदेश की उपेक्षा या उल्लंघन के कारण सरकार को हुई किसी भी आर्थिक हानि की पूर्णतः या आंशिक राशि वेतन से वसूल करना;

(iv) निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद में अवनति; या निम्नतर समयमान या समयमान में निम्नतर स्तर पर या पेंशन के मामले में नियमों के अंतर्गत देय राशि से कम राशि;

(v) आनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(vi) सेवा से निष्कासन, जो सामान्यतः आगे नियोजन के लिए अयोग्यता नहीं होगी;

(vii) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतः आगे नियोजन के लिए अयोग्यता होगी।

स्पष्टीकरण :-

(1) नियम के अर्थ में निम्नलिखित को दंड नहीं माना जाएगा:-

(i) सेवा या पद या उसकी नियुक्ति की शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहने पर किसी सरकारी कर्मचारी की वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी;

(ii) सरकारी कर्मचारी को समय वेतनमान में दक्षता रोध पर रोक दिया जाना, इस आधार पर कि वह रोध पार करने में अयोग्य है;

(iii) सरकारी सेवक की मूल या स्थानापन्न हैसियत में, उसके मामले पर विचार करने के पश्चात, किसी सेवा, ग्रेड या पद पर पदोन्नति के लिए जिसके लिए वह पात्र है, पदोन्नति न करना;

(iv) किसी उच्चतर सेवा ग्रेड या पद पर कार्यरत किसी सरकारी सेवक को इस आधार पर निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर वापस भेजा जाना कि परीक्षण के पश्चात् उसे ऐसी उच्चतर सेवा, ग्रेड या पद के लिए अनुपयुक्त समझा गया है या उसके आचरण से असंबद्ध प्रशासनिक आधार पर;

(v) परिवीक्षा पर नियुक्त सरकारी सेवक का उसकी नियुक्ति की शर्तों या परिवीक्षा को नियंत्रित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके अंत में किसी अन्य सेवा, ग्रेड या पद पर उसकी स्थायी सेवा, ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तन;

(vi) सरकारी कर्मचारी की अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(vii) सेवाओं की समाप्ति –

(क) किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी नियुक्ति की शर्तों या परिवीक्षा को नियंत्रित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके अंत में परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया हो; या

(ख) नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा के अधीन अन्यथा नियुक्त अस्थायी सरकारी कर्मचारी की;

(ग) किसी सरकारी कर्मचारी के साथ किसी समझौते के तहत, ऐसे समझौते की शर्तों के अनुसार;

(घ) राजस्थान की किसी एकीकृत इकाई की सेवाओं में कार्यरत किसी सरकारी कर्मचारी का, एकीकरण नियमों के अनुसार एकीकृत राजस्थान राज्य की किसी सेवा में नियुक्ति के लिए चयन न होने या आमेलन न होने पर।

स्पष्टीकरण:-

(2) राजस्थान सेवाओं के एकीकृत ढांचे में किसी भी पद पर तदर्थ या अनंतिम आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को एकीकृत नियमों के अनुसार किसी भी ऐसी सेवा या पद पर अचयन या असंयोजन के कारण से भिन्न किसी भी कारण से सेवामुक्त करना, यथास्थिति, निष्कासन या बर्खास्तगी माना जाएगा।

नोट-नियम 14 (vii) के तहत बर्खास्तगी के कारण आगे रोजगार के लिए अयोग्यता को सरकार द्वारा केवल तभी माफ किया जा सकता है जब किसी व्यक्तिगत मामले की योग्यता उचित हो।

8. इस नियम के अवलोकन से पता चलता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को दोषी कर्मचारी को उसके कदाचार के संबंध में दंडित करने के लिए व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। दंड देने वाले प्राधिकारी का विवेकाधिकार ठोस, कानूनी, नियमित, कानून द्वारा निर्देशित और नियम द्वारा शासित होना चाहिए। यह मनमाना, अस्पष्ट और जबरदस्ती नहीं होना चाहिए और अफवाहों से शासित नहीं होना चाहिए। नियम में प्रावधान है कि "उचित और पर्याप्त कारण" दर्ज किए जाने चाहिए जिनके आधार पर जुर्माना लगाया गया है। जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी दंड आदेश पारित करते समय एक लापरवाह दृष्टिकोण अपनाता है, तो यह इस प्रावधान के पर्याप्त अनुपालन के बराबर नहीं है। "उचित और पर्याप्त कारण" वाक्यांश अनुशासनात्मक प्राधिकारी को कदाचार की गंभीरता और प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करता है। 'उचित और पर्याप्त कारण' क्या हैं, यह दंड देने वाले प्राधिकारी के अप्रतिबंधित और अनियंत्रित विवेक पर छोड़ दिया जाता है।

9. सीसीए नियम, 1958 का नियम 14 दंड की प्रकृति से संबंधित है, जिसमें वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना शामिल है। इसी प्रकार, सीसीए नियम, 1958 का नियम 16 बड़ा दंड लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है और इसी प्रकार, सीसीए नियम, 1958 का नियम 17 छोटा दंड लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है। सीसीए नियम, 1958 का नियम 17 यह निर्धारित करता है कि सीसीए नियम, 1958 के

नियम 14 के खंड I और II में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लगाने का कोई भी आदेश सीसीए नियम, 1958 के नियम 16 में निर्धारित तरीके से जाँच किए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

10. अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों में पारित दंड आदेश में कुछ कारण अवश्य शामिल होने चाहिए। केवल निष्कर्ष दर्ज करना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और साथ ही सीसीए नियम, 1958 के नियम 14 की आवश्यकताओं के समुचित अनुपालन के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल एक पंक्ति का निष्कर्ष दर्ज करना कि अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, दोषी अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप पूरी तरह सिद्ध हो गए हैं, पर्याप्त नहीं है। आदेश में ऐसे कारण शामिल होने चाहिए, जो विवेक के प्रयोग को दर्शाएँ और जो जाँच रिपोर्ट तथा संबंधित अभिलेखों की विषय-वस्तु के प्रति सक्षम प्राधिकारी के विवेक के प्रयोग को प्रकट करें। इसके अलावा, दोषी अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन में उठाए गए बिंदुओं पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए, और इस बात के ठोस कारण दर्ज किए जाने चाहिए कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।

11. इस मामले में, प्रतिवादियों द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, जिसके कारण वे स्वयं ही बेहतर जानते हैं। याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई जाँच किए बिना ही, आक्षेपित आदेश लापरवाही से पारित कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। अतः, इन

परिस्थितियों में, आक्षेपित दंडात्मक आदेश कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है और इसलिए, इसे निरस्त एवं अपास्त किया जाता है।

12. तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है। हालाँकि, प्रतिवादी, सीसीए नियम, 1958 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध जाँच करने के बाद, नए आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

13. स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी निस्तारित किए जाते हैं।

(अनूप कुमार धंद), जे

आयुष शर्मा/66

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Tarun Mehra

Advocate